



क्रमांक : 805/अका./का.प./2014

रायपुर, दिनांक 22/07/2014

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की तृतीय बैठक शुक्रवार, दिनांक 18.07.2014 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए—

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. प्रो. रोहिणी प्रसाद	—	सदस्य
3. प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	—	सदस्य
4. प्रो. भगवन्त सिंह	—	सदस्य
5. प्रो. बी.के. शर्मा	—	सदस्य
6. प्रो. मिताश्री मित्रा	—	सदस्य
7. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	—	सदस्य
8. डॉ. एम.आई. मेमन	—	सदस्य
9. डॉ. के.एन. बापट	—	सदस्य
10. डॉ. पी.सी. अग्रवाल	—	सदस्य
11. प्रो. दिनेश मारोटिया	—	सदस्य
12. श्री ललित सुरजन	—	सदस्य
13. श्री शिवरतन शर्मा	—	सदस्य
14. श्री श्रीचंद सुंदरानी	—	सदस्य
15. श्री नवीन मार्कण्डेय	—	सदस्य
16. श्री भूपेश बघेल	—	सदस्य
17. श्री सत्यनारायण शर्मा	—	सदस्य
18. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त

कार्यपरिषद् के नवनियुक्त सदस्यगण — विधानसभा सदस्य, सर्व श्री सत्यनारायण शर्मा एवं श्री भूपेश बघेल का कुलसचिव द्वारा गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 23.06.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.06.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 23.06.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 23.06.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

(1) डॉ. श्रीमती उषा दुबे के आवेदन पत्र दिनांक 17.07.2014 के अनुसार विनियम क्रमांक 158 में आंशिक संशोधन एम.काम. अंतिम के स्थान पर एम.काम. सेमेस्टर प्रणाली से सर्वोच्च अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया गया।

(2) स्वर्ण जयंती दीक्षांत समारोह के अवसर पर, स्वर्ण पदक के संबंध में प्रत्येक पाठ्यक्रमों में दानदाताओं द्वारा संधारित स्वर्ण पदकों की संख्या एवं दानदाताओं द्वारा इस नाम से दी जाने वाली प्रतिभूति राशि रू. 50,000/- से, प्रतिवर्ष आनेवाले व्यय पर स्वर्ण पदक निर्माण की प्रतिपूर्ति एवं दानदाताओं को स्वर्ण पदक के अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक कार्यों जैसे — व्याख्यान एवं शोधपीठ स्थापित करने के संबंध में आवश्यक सुझाव के लिए समिति का गठन किया जाए, जो विस्तृत विश्लेषण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

03. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 03.07.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 03.07.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि NCNR के प्रगति तथा सेंटर फार बेसिक साइंस एवं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के योजना के प्रमुख बिंदुओं से कार्यपरिषद् सदस्यों को अवगत कराया जाए।

04. अध्यापक शिक्षा संस्थान के लिए स्वीकृत शैक्षणिक पदों की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : अध्यापक शिक्षा संस्थान के लिए छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक पदों की सूचना ग्रहण की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि सभी स्वीकृत पद भरने के पश्चात् स्ववित्तीय आधार पर प्राप्त निर्धारित शुल्क से यह पाठ्यक्रम दीर्घकाल तक संचालित करना मुश्किल होगा। अतः शासन को पुनः प्रस्ताव भेजा जाए कि खण्ड संधारण अनुदान के आगामी मूल्यांकन के समय उक्त पदों का व्यय भी शामिल किया जाए।

05. विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत सेटअप के विरुद्ध रिक्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत सेटअप के विरुद्ध रिक्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही के लिए छत्तीसगढ़ शासन को पत्र भेजा जाए।

06. वार्षिक परीक्षा 2014, नोडल के केन्द्र/केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई को प्रदाय अग्रिम की सूचना ग्रहण कर अनुमोदन करना।

निर्णय : वार्षिक परीक्षा 2014, नोडल के केन्द्र/केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई को प्रदाय अग्रिम की सूचना ग्रहण किया गया।

पूरक विषयसूची

01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 11.07.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 11.07.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन किया गया। यह जानकारी में आया है कि अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा शासी निकाय की बैठक नहीं की जाती है जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों को बैठक की सूचना नहीं दी जाती है।

अतः समस्त महाविद्यालय द्वारा वर्ष में दो बार बैठक आयोजित की जाए एवं विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों की सूची आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

02. दिनांक 26.07.2014 को आयोजित स्वर्ण जयंती दीक्षांत समारोह में मंच पर बैठक व्यवस्था के संबंध में।

निर्णय : दिनांक 26.07.2014 को आयोजित स्वर्ण जयंती दीक्षांत समारोह में मंच पर बैठक व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके साथ उपाधि वितरण के प्रस्तुतीकरण के लिए अतिरिक्त परिनियम 1 की कंडिका 13 पर विशेष प्रकरण मान्य करते हुए समस्त संकायाध्यक्षों की ओर से कुलसचिव द्वारा प्रस्तुतिकरण संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

03. दिनांक 26 जुलाई, 2014 को आयोजित विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती दीक्षांत (बीसवां) समारोह के अतिथियों की सूची के अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय : दिनांक 26 जुलाई, 2014 को आयोजित विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती दीक्षांत (बीसवां) समारोह में अतिरिक्त परिनियम 1 की कंडिका 10 के अंतर्गत उल्लेखित अतिथियों के अतिरिक्त, सांसद श्री रमेश बैस, श्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं श्री राजेश मूणत, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन को मंच पर अतिथि के रूप में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

04. प्रतिभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम-बालसी, सराइपाली में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : प्रतिभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम-बालसी, सराइपाली में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा अनुसार Dr. Om Prakash Sharma के नाम का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय


01. श्री बेनी राम औसर, अनिवार्य सेवा-निवृत्त, प्रथम श्रेणी लिपिक, के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन की राशि रु. 5,50,445=00 के भुगतान की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

02. सत्र 2013-14 वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा के गोपनीय मुद्रण का प्राप्त देयक का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।



(डॉ. एस.के. पाण्डेय)
कुलपति
अध्यक्ष




(के.के. चन्द्राकर)
कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 806 / अका. / का.प. / 2014
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 22/07/2014

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त विभागीय अधिकारी,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)